

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] No. 501 नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2009/माघ 10, 1930

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2009/MAGHA 10, 1930

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसुचना

मुम्बई, 13 जनवरी, 2009

सं. फेमा 182/आरबी-2009

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2009

सा.का.नि. 61(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खण्ड (1) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/आरबी-2000) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :---

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) (संशोधन) विनियमावली, 2009 कहलाएंगे ।

(ii) वे 15 अक्तूबर, 2008 से लागू समझे जाएंगे। @

2. विनियम 4 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा उधार लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000 में (3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/आरबी-2000), विनियम 4 में, उप-खण्ड (2)(i) में, "पचीस प्रतिशत" शब्द के स्थान पर "पचास प्रतिशत" शब्द स्थापित किया जाएगा और यह समझा जाएगा कि वह 15 अक्तूबर, 2008 से स्थापित किया गया है।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000-खण्ड-IV]

सलिम गंगाधरन, प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

पाद टिप्पणी :—(1) @यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी व्यक्ति पर इन विनियमों के पूर्वव्यापी प्रभाव से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(2) मूल विनियमावली सं. सा.का.नि. 407(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित की गयी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी :---

सं. सा.का.नि. 674(अ) दिनांक 25-8-2000

सं. सा.का.नि. 476(अ) दिनांक 8-7-2002

सं. सा.का.नि. 854(अ) दिनांक 31-12-2002

सं. सा.का.नि. 531(अ) दिनांक 9-7-2003

सं. सा.का.नि. 533(अ) दिनांक 9-7-2003

सं. सा.का.नि. 208(अ) दिनांक 23-3-2004

सं. सा.का.नि. 825(अ) दिनांक 22-12-2004

सं. सा.का.नि. 60(अ) दिनांक 9-2-2005

सं. सा.का.नि. 739(अ) दिनांक 22-12-2005

सं. सा.का.नि. 663(अ) दिनांक 16-10-2007

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 13th January, 2009

No. FEMA 182/RB-2009

Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2009

- G.S.R. 61(E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000, (Notification No. FEMA 3/RB-2000 dated May 3, 2000), namely:—
- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) (Amendment) Regulations, 2009.
 - (ii) They shall be deemed to have come into effect from the 15th day of October, 2008 @.
- 2. Amendment of Regulation 4.—In the Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA 3/RB-2000 dated May 3, 2000), in Regulation 4, in sub-regulation (2)(i), the words "twenty five percent" shall be substituted by the words "fifty percent" and shall be deemed to have been substituted with effect from the 15th day of October, 2008.

[F. No. 1/23/EM/2000-Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager-in-Charge

- Footnote:—1. @It is clarified that no person will be adversely affected as a result of retrospective effect being given to these regulations.
 - 2. The principal regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 386(E) dated 5th, May, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :—

No. G.S.R. 674(E) dated 25-8-2000	No. G.S.R. 208(E) dated 23-3-2004
No. G.S.R. 476(E) dated 8-7-2002	No. G.S.R. 825(E) dated 22-12-2004
No. G.S.R. 854(E) dated 31-12-2002	No. G.S.R. 60 (E) dated 9-2-2005
No. G.S.R. 531 (E) dated 9-7-2003	No. G.S.R. 739(E) dated 22-12-2005
No. G.S.R. 533(E) dated 9-7-2003	No. G.S.R. 663(E) dated 16-10-2007